



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000 /—रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 10.12-2025 को मा0 न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

- वर्ष-2023 में अभियुक्त साजिद पुत्र अनवार निवासी बडी मस्जिद के पास कस्बा व थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ आपराधिक क्रिया—कलापों में संलिप्त था, जिसके सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर मु0अ0सं0 01/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 22.12.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 10-12-2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी द्वितीय हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000 /—रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री आशीष कश्यप (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री सुमित तोमर एवं पैरोकार म0का0 मोनू मलिक व कोर्ट मोहर्रिर का0 दुष्यंत राठी का विशेष योगदान रहा।

